तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज किशना/हरसिंह बनाम शंकरसिंह वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
03/02/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 05/03/26 को पेश हो।	
05/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 23/03/26 को पेश हो।	
23/03/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित पृ०। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० है। पत्रावली [illegible] मुताबिक नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः—73/2024(77/2022)

1. सिरमौहर सिंह पुत्र अमरचन्द जाति गुर्जर निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन तहसील उच्चैन भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. शंकर सिंह
2. श्यामलाल
3. बृजेन्द्र सिंह पुत्रान अमरचन्द जाति गुर्जर निवासी उच्चैन।
4. अर्जुन सिंह
5. प्रहलाद सिंह
6. बलवीर सिंह
7. सुवरन सिंह पुत्रान मंगतू सिंह जाति गुर्जर निवासी उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थितिः—

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी।

2.श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट अप्रार्थी सं0 4 लगा0 7।

निर्णय **दिनांकः—23.03.2026**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 353/0.44, 354/0.31है0 बाके ग्राम तुहिया पट्टी उच्चैन में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में हम प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 हिस्सा 1/2 एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 7 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है लेकिन उक्त आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है उक्त आराजी पर अभी तक सामूहिक रूप से काश्त हो रही है। उक्त आराजी कस्वा उच्चैन की आबादी एवं सडक के सहारे स्थित होने के कारण कीमती हो जाने के कारण सहखातेदारान के मन में बदयान्ती आ रही है इसी कारण सभी सहखातेदार उक्त आराजी की फ्रन्ट एवं कीमती हिस्सों पर कब्जा करने पर उतारू है एवं निमार्ण करना चाहते है एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 7 ने यह कहते हुये कि जब विभाजन होगा तब उक्त हिस्से को हम ले लेंगे एवं जितने हिस्से में निर्माण करेंगे उतनी पैदा कर लेंगें पुख्ता निर्माण कर अपना मकान बना लिया है लेकिन अब सामूहिक काश्त में बराबर हिस्सा मांगते है एवं झगडा करने पर उतारू हो गये एवं जब दिनांक 15.06.2022 को हल्का पटवारी ने बंटबारा कराना चाहा तो अप्रार्थीगण ने साफ इन्कार कर दिया एंव विवादित आराजी पर कब्जा करने एवं विवादित आराजी को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय मुन्तिकिल करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 लगा0 7 की ओर से श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट हाजिर आये एवं जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी बयाना–भरतपुर सडक मार्ग के तरफ पश्चिम में नाला है तथा नाले के सहारे पश्चिम में स्थित है तथा उक्त आराजी मौके पर विभाजित है तथा सभी का फ्रंट नाले की तरफ है जिससे किसी भी पक्षकार को अपनी आराजी में आने जाने में कोई भी असुबिधा नहीं होती है उक्त आराजी के तरफ दक्षिण में हम अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 7 तथा उत्तर में प्रार्थी का कब्जा काश्त है अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है उनके हिस्से की आराजी पर प्रार्थी सिरमौहर का कब्जा है प्रार्थी ने सही तथ्यों व मौके की वास्तिविक स्थिति को छिपाकर उक्त प्रकरण पेश किया है। उक्त मनवट विभाजित आराजी में काफी वर्षों पूर्व मौके पर अप्रार्थी संख्या 5 ने अपने हिस्से व कब्जे की कुछ आराजी में पक्का मकान तथा अप्रार्थी संख्या 7 ने अपने हिस्से व कब्जे की आराजी के कुछ भाग में दासेबंदी कर रखी है जिन्हें कृषि व पशुपालन हेतु काम में लेते है तथा अमरूद नीबू वगै0 के पेड लगा रखे है इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 6 ने अपने हिस्सा आराजी में मौके पर अपने पिता स्व0 मंगतू सिंह का थान बना रखा है तथा शेष आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। उक्त आराजी को हम अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 7 ने मनवट विभाजन के वाद काफी लागत व मेहनत कर उपयोग व उपभोग व कृषि हेतु बनाया है प्रार्थी ने बिना वजह उक्त प्रकरण पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 बाबजूद सूचना के हाजिर अदालत नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 18.12.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है उक्त आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। उक्त आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सामूहिक रूप से काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त आराजी उच्चैन कस्बे की आबादी एवं सडक के सहारे आ जाने के कारण सहखातेदारान के मन में बदयान्ती आ गई है जिसके कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी के कीमती हिस्से पर कब्जा कर निर्माण करना चाहते है एवं कुछ हिस्से पर अप्रार्थीगण के द्वारा पक्का निमार्ण कर मकान भी बना लिये गये है। अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद फरमायें जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी का काफी पुराने समय से ही सहखातेदारान के मध्य मौके पर मनबट के आधार पर विभाजन हो रहा है। मनबट के आधार पर सभी सहखातेदारान अपने हिस्से में आई आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी वाद कारण के तथ्यों को झुपाते हुये पेश किया है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त विवादित आराजी के मनवट विभाजन के संबंध में कोई भी दस्ताबेज

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त विवादित आराजी के कुछ हिस्से पर निमार्ण किया जाना अपने जबाव प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.06.2022 की प0ह0 उच्चैन बाके ग्राम तुहियापट्टी की पैमाईश रिपोर्ट की फोटोप्रति पेश की है उक्त रिपोर्ट में वाद विवाद की स्थिति पैदा नहीं होने के कारण पैमाईश नहीं होने का स्पष्ट अंकन है। प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के विंदू प्रार्थीगण के हक में साबित होते है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला बाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 353/0.44, 354/0.31है0 बाके ग्राम तुहिया पट्टी तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थित बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर